

अनुच्छेद 355 और संवैधानिक तंत्र में व्यवधान

प्रलिस के लयः

संवैधानकः तंत्र में व्यवधान, राष्ट्रः आपातकाल, संवैधानकः आपातकाल, वतःतीय आपातकाल ।

मेन्स के लयः

भारतीय संवधान, आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल के प्रकार ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले में चुनाव के बाद की हसः का हवाला देते हुए कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने राष्ट्रपतः से संवधान के अनुच्छेद 355 को लागू करने का आग्रह कःया है ताकः यह सुनश्चितः हो सके कः राज्य सरकार संवधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे ।

- याचकःकरता द्वारा संवैधानकः तंत्र में उत्पन्न व्यवधान पर अनुच्छेद 355 लगाने की मांग की गई है ।

प्रमुख बडु

अनुच्छेद 355:

- अनुच्छेद 355 संवधान में उस प्रावधान को संदर्भतः करता है जसःमें कहा गया है कः "संघ का यह करतव्य होगा कः वह बाहरी आक्रमण और आंतरकः अशांती से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, साथ ही इस बात को भी सुनश्चितः करे कः प्रत्येक राज्य की सरकार संवधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे ।"
- अनुच्छेद 355 [आपातकालीन प्रावधानों](#) का हसःसा है जो संवधान के भाग XVIII में शामिल अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक में नहःतः है ।

अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 355 के बीच संबंध:

- अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र कःसी राज्य में संवैधानकः तंत्र के वकःल होने या व्यवधान/अवरोध की स्थतःतः उत्पन्न होने पर राज्य सरकार के कार्यों को अपने अधीन ले लेता है ।
- इसे लोकप्रयः रूप से 'राष्ट्रपतः शासन' के रूप में जाना जाता है ।
- '**राष्ट्रपतः शासन लगाने का आधार:** राष्ट्रपतः शासन को अनुच्छेद 356 के तहत दो आधारों पर घोषतः कःया जा सकता है:
 - अनुच्छेद 356 राष्ट्रपतः को राष्ट्रपतः शासन की उद्घोषणा जारी करने का अधिकार देता है । यदः राज्य में ऐसी स्थतःतः उत्पन्न हो गई है जसःमें कःसी राज्य की सरकार संवधान के प्रावधानों के अनुसार चलने में सक्षम न हो तो राष्ट्रपतः अनुच्छेद 356 का उपयोग कर राष्ट्रपतः शासन लगा सकता है ।
 - अनुच्छेद 365** के अनुसार, जब भी कोई राज्य केंद्र के कःसी नरःदेश का पालन करने या उसे लागू करने में वकःल रहता है, तो राष्ट्रपतः के लयः यह मानना वैध होगा कः ऐसी स्थतःतः उत्पन्न हो गई है जसःमें राज्य की सरकार संवधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चल सकती है ।
- संसदीय अनुमोदन और अवधः**: राष्ट्रपतः शासन लगाने की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदतः कःया जाना चाहयः ।
- राष्ट्रपतः शासन के परिणाम:** जब कःसी राज्य में राष्ट्रपतः शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपतः को नमःनलखतः असाधारण शक्तयः प्राप्त होती हैं:
 - वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य में कःसी अन्य कार्यकारी प्राधिकरण में नहःतः शक्तयः को ले सकता है ।
 - वह घोषणा कर सकता है कः राज्य वधःयकः की शक्तयः का प्रयोग संसद द्वारा कःया जाना है ।
 - वह राज्य में कःसी भी नकःय या प्राधिकरण से संबंधतः संवैधानकः प्रावधानों के नलःबन सहतः अन्य सभी आवश्यक कदम उठा सकता है ।
- न्यायकः समीक्षा का दायरा:** वर्ष 1975 के 38वें संशोधन अधनःयः ने अनुच्छेद 356 को अंतमः और नरःणायक रूप से लागू करने में राष्ट्रपतः की संतुष्टः, जसः कःसी भी आधार पर कःसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी ।

- लेकिन इस प्रावधान को बाद में 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था, जिसका अर्थ था कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है।

आपातकालीन प्रावधान:

- ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं।
- भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिये गए हैं।
 - हालाँकि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का नलिंबन वीमर (जर्मन) संविधान से लिया गया है।
- आपातकालीन प्रावधानों का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता एवं सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना है।
- संविधान तीन प्रकार की आपात स्थितियों को निर्धारित करता है:
 - राष्ट्रीय आपातकाल
 - संवैधानिक आपातकाल
 - वित्तीय आपातकाल

राष्ट्रीय आपातकाल का अर्थ:

- राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। संविधान इस प्रकार की आपातस्थिति को दर्शाने हेतु 'आपातकाल की उद्घोषणा' अभिव्यक्तिका प्रयोग करता है।
- घोषणा के आधार:
 - अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जब भारत या उसके एक हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो।
 - राष्ट्रपति युद्ध या सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण की वास्तविक घटना से पहले ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
 - जब 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो इसे 'बाह्य आपातकाल' के रूप में जाना जाता है।
 - दूसरी ओर, जब 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो इसे 'आंतरिक आपातकाल' के रूप में जाना जाता है।
 - 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द को [44वें संविधान संशोधन](#) द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इस शब्द से पहले इसे 'आंतरिक अशांति' के रूप में जाना जाता था।

वित्तीय आपातकाल का अर्थ:

- घोषणा के आधार: अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा है।

मौलिक अधिकारों पर आपातकाल का प्रभाव:

- अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं। इन दो प्रावधानों को नीचे समझाया गया है:
- अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का नलिंबन: अनुच्छेद 358 के अनुसार, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत सभी छह मौलिक अधिकार स्वतः नलिंबित हो जाते हैं।
- अन्य मौलिक अधिकारों का नलिंबन: अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को नलिंबित करने की शक्ति प्राप्त है।
- हालाँकि यह ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? (2009)

- (a) तीसरी
- (b) चौथी
- (c) पाँचवीं
- (d) छठी

उत्तर: (c)

किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के नमिनलखिति में से कौन-से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? (2017)

1. राज्य विधानसभा का विघटन

2. राज्य के मंत्रपरिषद् का हटाया जाना
3. स्थानीय निकायों का वधितन

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/article-355-breakdown-of-constitutional-machinery>

